न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 44/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री दूदा पिता कालू गाडरी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री चतरा पिता तुलसा गाडरी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री मोहन पिता उदा गाडरी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री देवा पिता उदा गाडरी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
4. मु0 गंगा पिता उदा गाडरी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
5. श्रीमती दाखू पुत्री स्व. बाबरिया गाडरी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
6. श्रीमती धूली बाई पुत्री नारायण जी (पत्नी वाला जी गाडरी) निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
7. श्री सवला पिता रोडा गाडरी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
8. श्रीमती राजू बाई पुत्री कालू जी पत्नी लच्छीराम गाडरी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज0)
10. उप–पंजीयक, उप–पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली जिला उदयपुर
11. पटवारी पटवार हल्का, डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मावली दिनांक 28–4–2017 प्रकरण संख्या 333/2008 वाद

———

उपस्थित :–1– श्री चन्द्रशेखर आमेटा अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री मोहनलाल गाडरी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1

3– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्ट संख्या–8

4– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं. 9 से 11

——————/——————

निर्णय **दिनांक 28–05–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–8 वादिया द्वारा एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–1 अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध पेश करते हुए निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या–1 के परिशिष्ठ **''क''** की आराजीयात कूल किता–3 रकबा 1 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या–1 का 1/4 हिस्सा, परिशिष्ठ **''ख''** की आराजीयात कूल किता–17 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम 1/6 हिस्सा, परिशिष्ठ **''ग''** की आराजीयात किता–3 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या–1 के पिता दूदा पिता कालू गाडरी के नाम स्वतन्त्र खातेदारी थी तथा परिशिष्ठ **''घ''** आराजीयात किता–8 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है। वादिया ने कथन किया कि पक्षकारान का सजरा वादपत्र की कलम संख्या–2 अनुसार है। जिसमें मूल पुरूष गमाना के 3 पुत्र कालू, उदा एवं हीरा होकर तीनों फोत होने के बाद कालू के पुत्र दूदा प्रतिवादी संख्या–1 पुत्र है तथा राजू वादिया उसकी पुत्री है। विवादित आराजीयात परिशिष्ठ **''क''** से **''घ''** की मौरूषी संपत्ति होकर जमाबन्दी में वादिया के भाई एवं अन्य प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है। वादिया एवं प्रतिवादीगण हक हिस्से अनुसार काबिज है। विवादित भूमियों में वादिया के स्वर्गीय पिता कालू के हिस्से की जमीन वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम पर ही दर्ज है, जबकि वादिया का कालू की जाईन्दा पुत्री होने से जन्म से कालू की भूमियों में विधिक वारिस होने व हक हिस्सा होने से वह भूमियों पर वह काबिज है। त्रुटिपूर्ण राजस्व रेकार्ड में सिर्फ प्रतिवादी संख्या–1 का नाम दर्ज है। जिससे वह उक्त भूमियों को खुर्द–बुर्द कर सकता है। निवेदन किया कि वादिया को उत्तराधिकार हक व कब्जा होने के कारण खातदेारी घोषणा करते हए विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय। प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि दूदा की आयु 45 वर्ष गलत है, उसकी आयु 57 वर्ष है तथा

प्रार्थिया की आयु 50 वर्ष नहीं होकर 59 वर्ष है। दूदा जी का स्वर्गवास 56 वर्ष पूर्व हो चुका है, जब हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं हुआ था तथा कालू की जमीन में अकेला उत्तराधिकारी विपक्षी दूदा है। राजूबाई का कोई हक अधिकार नहीं है। हीरा के लड़के पीथा का भी स्वर्गवास होकर ला–औलाद फोत होने से विपक्षी दूदा 1/2 हक से तथा उदा के वारिस 1/2 हक से वारिस है। इसमें राजूबाई का कोई अधिकार नहीं है। राजूबाई का विवादित भूमियों में कोई हक अधिकार इसलिए नहीं है, क्येंकि कालू के निधन के समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं हुआ था तथा वादिया को वाद लाने का अधिकार नहीं है तथा राजूबाई कुंवारी अवस्था में ही घर छोड़ कर भाग गई थी और नाता कर लिया था तथा कालू जी के जीवनकाल में तथा उसके बाद भी विवादित भूमियों पर वह नहीं आई। अतएव धारा–63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी उसके अधिकार समाप्त हो चुके है। वादिया द्वारा पुनः जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादिया कालू जी की जाईन्दा पुत्री होकर उसका विरासती उत्तराधिकार है, उसने नाता नहीं किया, बल्कि उसका विवाह हुआ था। प्रकरण में अन्य रेस्पोन्डेन्ट का कोई जवाब पत्रावली के रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार तनकियात कायम की :–

1. **आया मौजा डबोक पटवार मण्डल डबोक की वादग्रस्त आराजीयात जो कि वाद के परिशिष्ठ ''क'' से ''घ'' में वर्णित है में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या–1 के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी हक से घोषणा कराने व वादिया एवम प्रतिवादीगण के मध्य हिस्सेनुसार बंटवारा कराने के अधिकारी है?**
2. **आया प्रतिवादी संख्या–1 दूदा के पिता कालूजी का स्वर्गवास करीबन 56 वर्ष पूर्व हो चुका था उस वक्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं हुआ था इसलिये कालूजी का अकेला वारिस होने के कारण वादिया खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है न ही अन्य प्रतिवादीगणों की आराजीयात में हक अधिकार है।**

अधिनस्थ न्यायालय में उभयपक्षों द्वारा पेश किये गये मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर बहस सुनने के बाद अपने तनकीवार निर्णय

दिनांक 28–4–2017 से वादिया का खातेदार अधिकार, घोषणा का वाद डिक्री करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की।

अधिनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 28–4–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–5–2017 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री मोहनलाल गाडरी ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–8 की और से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 से 11 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–8 द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पेश शुदा मृत्यु प्रमाण पत्र को आधार मान लिया, विवादित भूमियों पर वादिया का कब्जा नहीं है। कालूजी की मृत्यु 1956 से पूर्व हो चुकी थी। पंचायत ने मिली–भगत कर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया है। विवादित भूमियों पर वादिया का कब्जा प्रारम्भ से ही नहीं होने से धारा–63(4) के तहत वह कब्जा प्राप्त नहीं कर सकने एवं खातेदारी अाकिारों की घोषणा की अधिकारीणी नहीं है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में इस तथ्य का कोई निषेध नहीं है कि भूमियां कालू के समय की नहीं हो, वादिया राजूबाई कालू की पुत्री नहीं हो, अपीलान्ट प्रतिवादी को विवादित भूमियों कालू की विरासत से नहीं मिली हो। विवाद सिर्फ इस बात का है कि कालू की मृत्यु कब हुई तथा क्या उसकी मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने के पूर्व हो चुकी थी अथवा उसके बाद तथा तद्नुसार वादिया रेस्पोन्डेन्ट राजूबाई का कानूनी भूमियों में विरासती उत्तराधिकार

बनता है अथवा नहीं तथा क्या राजूबाई का कब्जा नहीं होना धारा–63 (1) (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वह अपीलान्ट के विरूद्ध घोषणात्मक राहत पाने को अधिकृत है अथवा नहीं।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकी संख्या–1 के निर्णय में पेश शुदा साक्ष्यों का आख्यापक विश्लेषण करने के बाद प्रदर्श–6 ए मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर कालू की मृत्यु दिनांक 17–6–1964 को माना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र को विधिक दस्तावेज की मान्यता दी है, जो उचित है, क्योंकि इनके विरूद्ध कोई अन्य प्रभावी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिससे दिनांक 17–6–1964 के मृत्यु प्रमाण पत्र को असत्य माना जा सके तथा कालू की मृत्यु को हिन्दू उत्त्राधिकार अधिनियम 1956 के पूर्व कब कालू की मृत्यु हुई यह भी नहीं बताया है। प्रकरण में कालू की मृत्यु दिनांक 17–6–1964 को होने के मृत्यु प्रमाण पत्र को अवैद्य माने जाने के कोई आधार उपलब्ध नहीं है। जहां तक विरासती उत्तराधिकार का प्रश्न है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद हिन्दू की अवसीयती मृत्यु होने पर अधिनियम की धारा–8 के अनुसार विरासती उत्तराधिकार में पुत्र व पुत्रियां दोनों समान अधिकार रखते है। विरासती उत्त्राधिकार में कब्जा अथवा धारा–63 (1) (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कोई प्रासंगिकता नहीं होती।

उपरोक्त विवेचनानुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित तनकीवार, साक्ष्यों की आख्यापक विवेचन के साथ पारित निर्णय में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–4–2017 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28–05–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री दूदा पिता कालू गाडरी
निवासी डबोक तहसील मावली
जिला उदयपुर (राज0)

बनाम

1– श्री चतरा पिता तुलसा गाडरी
निवासी डबोक तहसील मावली
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य –7 व सरकार

अपील नं0 **44/2017** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **मावली .....** मुकाम मुक्र्खे.....**28**.....माह.....**04**..... **2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**28**..... माह .....**05**..... सन् **2018....** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी....**श्री चन्द्रशेखर आमेटा** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री मोहनलाल गाडरी** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–4–2017 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**28**..... माह ...**05**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।